श्री राम गोपाल मन्दिर न्यास, डमटाल तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1/2011 से 12/2012

भाग—एक

1 प्रारम्भिकः—

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A)3—3/85—पार्ट—II दिनांक 17.1.1989 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के दृष्टिगत श्री राम गोपाल मन्दिर न्यास डमटाल के अवधि 1/11 से 12/12 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी मन्दिर न्यास के आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत्त रहेः—

क्र0सं0	नाम व पदनाम	अवधि
1	श्री सुशील कुमार (एस0डी0एम0 नूरपुर)	1.1.11 से 10.10.11 तक
2	श्री आर0के0 वर्मा (एस0डी0एम0 नूरपुर)	10.10.11 से 6.1.12 तक
3	श्री यशोधन सिंह (तहसीलदार इन्दौरा)	6.1.12 से 31.7.12 तक
4	श्री आर0के0 वर्मा (एस0डी0एम0 नूरपुर)	31.7.12 से 27.8.12 तक
5	श्री सुरिन्द्र शर्मा (मन्दिर अधिकारी)	27.8.12 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0सं0	संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि लाखों में
1	सावधिक जमा राशि पर कम ब्याज क्रेडिट करना	6 (ख)	0.62
2	प्लाटों/दुकानों एवं स्टोन क्रशरों के किराये के रूप में बकाया राशि की वसूली हेतु कार्रवाई न करना	7	24.96

3	निर्धारित दरों से कम दर पर किराये की वसूली कम करना तथा किरायेदारों के किराये में बढ़ौतरी करना	8	0.86
4	केन्द्रीय पूल में अनियमित रूप से दी गई राशि	15	2.50
5	विज्ञापनों पर अनियमित व्यय करना	16	0.58

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों के बारे में:–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "A"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर मन्दिर प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही जो कि चिन्ताजनक है। अतः मन्दिर प्रशासन द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को यथासमय अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

2 वर्तमान अंकेक्षण:–

मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल के वर्तमान लेखों (1/2011 से 12/2012) का अंकेक्षण/जांच परीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, श्री राजवीर सिंह (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 30.3.2013 से 23.4.13 के दौरान डमटाल मन्दिर कार्यालय में किया गया। आय पक्ष हेतु माह 5/2011 व 5/2012 तथा व्यय पक्ष हेतु माह 8/2011 व 2/2012 का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर अधिकारी/प्रभारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त न्यास द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर न्यास के अवधि 1.1.11 से 31.12.12 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क `9600/–आंका गया जिसे राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु मन्दिर अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 33 दिनांक 20.4.13 द्वारा अनुरोध किया गया तथा मन्दिर अधिकारी द्वारा एस0बी0आई0 शाखा डमटाल के बैंक ड्राफ्ट संख्या 578438 दिनांक 25.4.13 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय निधि लेखा शिमला–9 को भेज दिया गया।

4 वितीय स्थितिः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री राम गोपाल मन्दिर न्यास डमटाल की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

विवरण	**वर्ष 2011**	**वर्ष 2012**
अथशेष	96302160	100625079
पावतियां	2744585	3577792
ब्याज	6676718	9696314
कुल योग	105723463	113899185
व्यय	5098384	3946126
अन्तशेष	100625079	109953059

दिनांक 31.12.12 को अन्तशेष का विवरणः–

दिनांक 31.12.12 तक बैंक में जमा राशि (**परिशिष्ट B**)	336046
दिनांक 31.12.12 को सावधि जमा के रूप में निवेशित राशि (**परिशिष्ट B**)	109569319
हस्तगत राशि (31.12.12)	11078
बैंक शेष व हस्तगत राशि का कुल योग	**109916443**
दिनांक 31.12.12 को रोकड़ वही अनुसार अन्तशेष	**109953059**
अन्तर	**36616**

बैंक समाधान विवरणिकाः–

दिनांक 31.12.12 के रोकड़ वही अनुसार अन्तशेष	109953059

जमा (+)	
बैंकों द्वारा दिया गया ब्याज जो कि 31.12.12 तक रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया गया (**परिशिष्ट C**)	(+)2424
माईनस (–)	
चैक जोकि जमा किये गये परन्तु दिनांक 31.12.12 तक बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं किये गये (**परिशिष्ट C**)	(–) 39040
दिनांक 31.12.12 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का कुल योग	**109916443**

5 सोना एवं चांदीः–

(क) सोनाः:– मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के सोने की प्रप्ति मन्दिर न्यास के खातों में नहीं दर्शाई गई है।

(ख) चांदीः– मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की चांदी की प्राप्ति मन्दिर न्यास के खातों में नहीं दर्शाई गई है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अन्तशेष के अनुसार मन्दिर न्यास की चांदी की स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

विवरण	**वर्ष 2011**	**वर्ष 2012**
आरम्भिक शेष	511 ग्रम	511 ग्राम
वर्ष के दौरान प्राप्त चांदी	–	–
अन्तशेष	511 ग्रम	511 ग्राम

6 निवेशः—

(क) दिनांक 31.12.12 तक मन्दिर न्यास द्वारा `109569319/—का निवेश सावधि जमा योजना में किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

Sr. No.	Date of Investment	FDR No./Bank	Amt. investment	Rate	Period	Maturity Value	Date of Maturity
1	4.1.12	1099664 के0सी0सी0 डमटाल	533783	9.25%	12एम	584897	4.1.13
2	1.1.12	615553 के0सी0सी0 कन्दरौर	3526157	9.25%	12एम	3863816	1.1.13
3	4.1.12	603832 एस0बी0पी0 नूरपुर	2599446	9.25%	12एम	2848365	4.1.13
4	26.2.12		102909933	9.25%	12एम	113316507	26.2.13
		योग	**109569319**				

(ख) सावधिक जमा पर `62023/—का कम ब्याज क्रेडिट करने बारेः—

निवेश से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि एस0बी0आई0 नूरपुर द्वारा सावधिक जमा पर `62023/—का कम ब्याज दिया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

दिनांक	राशि	एफ0डी0आर0 बैंक	दर	अवधि	परिपक्वता पर अपेक्षित ब्याज	बैंक द्वारा दिया गया ब्याज	कम ब्याज
9.3.07	1200210	6729 एस0बी0आई0 नूरपुर	9.50%	4 वर्ष	547059	485036	62023

अतः उपरोक्त `62023/—की वसूली सम्बन्धित बैंक से चक्रवृद्धि ब्याज सहित अविलम्ब की जानी सुनिश्चित की जाये।

7 प्लाटों/दुकानों एवं स्टोन क्रशरों के किराये के रूप में बकाया `24.96 लाख की वसूली हेतु कार्रवाई न करनाः–

दिनांक 31.12.12 को विभिन्न किरायेदारों एवं स्टोन क्रशर जमीन के किराये के रूप में `2496274/–वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निंम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	शीर्ष	31.12.12 को बकाया राशि	टिप्पणी
1	प्लाटों/दुकानों का किराया	2098274	परिशिष्ट D
2	स्टोन क्रशर जमीन का किराया	398000	परिशिष्ट E
	योग	**2496274**	

दिनांक 31.12.12 को इतनी अधिक राशि का वसूली योग्य शेष रहना स्वतः ही आपतिजनक है। अतः मन्दिर प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि इस बकाया राशि की वसूली हेतु शीध्र प्रयास किये जाये तथा समय पर किराये की वसूली न होने की स्थिति में ब्याज सहित किराये की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

8 निर्धारित दरों से कम दरों पर किराये की वसूली के करना `86880/–की कम वसूली करना तथा किरायेदारों के किराये में नियमानुसार बढ़ौतरी करनाः–

(क) अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि **परिशिष्ट F** में क्रम संख्या 82 पर वर्णित भारत पैट्रोलियम पम्प डमटाल का किराया 1.1.2011 से `13300/– प्रति माह निर्धारित किया गया था परन्तु किराये की वसूली `9680/–प्रति माह की दर से की गई थी। इस प्रकार `3620/– प्रति माह (`13300–`9680=`3620) की दर से किराये की कम वसूली करने के कारण मन्दिर निधि को दिनांक 31.12.12 तक कुल `86880/= (`3620X24=`86880) की वित्तीय हानि उठानी पड़ी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा कम वसूली गई राशि की प्रतिपूर्ति/वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये व भविष्य में भी निर्धारित दरों के अनुसार ही किराये की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

(ख) परिशिष्ट F के अवलोकलन पर यह भी पाया गया कि विभिन्न किरायेदारों को जिस दिनांक से किराया लगाया गया, उतना ही किराया आज दिनांक तक वसूल किया जा रहा है। अर्थात

दिनांक 3.1.96 से लगभग 17 वर्षों पश्चात भी पुरानी दरों पर ही किराये की वसूली की जा रही है जबकि किराया अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पांच वर्षों उपरान्त किराये में मूल किराये में वृद्धि की जानी अपेक्षित है। किराये में नियमानुसार बढ़ौतरी न करने के कारण, मन्दिर निधि को प्रतिवर्ष लाखों रूपयों की वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा यह परामर्श भी दिया जाता है कि निमयमानुसार प्रत्येक किरायेदार की किराये की राशि को प्रत्येक पांच वर्ष बाद बढ़ाकर, बकाया किराये की राशि की गणना की जाये व तदानुसार उसकी वसूली की जाये तथा भविष्य में भी नियमों की पालना की जानी सुनिश्चित की जाये।

9 मन्दिर की जमीन के किरायेदारों से किराये की वसूली न करना तथा किरायेदारों से जमीन का कब्जा भी न छुड़वानाः–

अभिलेख की जांच पर यह पाया गया कि **परिशिष्ट G** में वर्णित विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों को मन्दिर की जमीन किराये पर दी गई है परन्तु इनसे किराया वसूलने की अनुमति आयुक्त मन्दिर महोदय से प्राप्त नहीं है तथा उक्त किरायेदारों से जो किराया वसूला जा रहा था उसकी वसूली भी बन्द कर दी गई है। चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि किराये पर दी गई जमीन, किरायेदारों के कब्जे में है तथा उसका कार्य/व्यापार सुचारू रूप से चला हुआ है। अतः मन्दिर की जमीन विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों के कब्जे में होते हुए भी उनसे न तो जमीन का किराया वसूलना तथा न ही कब्जे छुड़वाना स्वतः ही गम्भीर अनियमितता का मामला है। अतः सुझाव दिया जाता है कि इन किरायेदारों से किराये की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास स्तर आन्तरिक जांच करके इस प्रकार की जमीनों का कब्जा छुड़वाकर इसे पुनः किराये पर दिया जाये ताकि मन्दिर की आय में वृद्धि हो सके।

10 मन्दिर अधिग्रहण से पूर्व के पटटेदारों से लगान/किराये की मांग न करना तथा पटटा अवधि समाप्त होने पर भी पटटे के नवीनकरण अथवा भूमि को अपने कब्जों में लेने हेतु कार्रवाई न करनाः–

(क) अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि **परिशिष्ट H** में वर्णित विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों का मन्दिर की जमीन, मन्दिर अधिग्रहण से पूर्व दी थी। दिनांक 3.1.96 को मन्दिर के अधिग्रहण के पश्चात उक्त पटटेदारों से लगान की मांग ही नहीं की गई। चर्चा के दौरान बताया गया कि उक्त पटटेदार अधिग्रहण की दिनांक से आज दिनांक तक लगभग 17 वर्षों तक बिना कोई

लगान दिये मन्दिर की भूमि पर अपना कार्य/व्यवसाय सुचारू रूप में कर रहे है। पिछले 17 वर्षो से किराये/लगान की मांग न करना, स्वतः ही एक गम्भीर अनियमितता है जिसके फलस्वरूप मन्दिर निधि को प्रतिवर्ष लाखों रूपयों की वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है। अतः इस प्रकरण में मन्दिर न्यास स्तर पर भी आन्तरिक जांच करके उचित कार्रवाई अमल में लाते हुये लगान की वसूली वर्ष 1996 से ब्याज सहित की जाये व भविष्य के सन्दर्भ में यह भी सुझाव दिया जाता है कि उक्त पटटेदारों के सन्दर्भ में कोई ठोस नीति बनाई जाये ताकि मन्दिर की आय में वृद्धि की जा सके।

(ख) अभिलेख की जांच में यह भी पाया गया कि **परिशिष्ट H (ii)** में वर्णित विभिन्न पटटेधारियों की पटटा अवधि समाप्त हो चुकी है। चर्चा के दौरान बताया गया कि यह जमीन अभी भी पटटेधारियों के कब्जे में है व उनका कार्य/व्यापार सुचारू रूप से चला हुआ है। कुछ पटटेधारियों की पटटा अवधि तो वर्ष 1992 से समाप्त हो चुकी है। अतः पटटा अवधि समाप्त होने पर मन्दिर न्यास द्वारा जमीन को अपने कब्जे में लेकर पुनः पटटे पर न देने अथवा पटटा अवधि का बाजारी भाव में नवीनीकरण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इन प्रकरणों में मन्दिर न्यास स्तर पर भी आन्तरिक जांच करके उचित कार्रवाई अमल में लाते हुये पटटों का किराया वर्तमान बाजारी भाव दरों के दृष्टिगत पुनः निर्धारित किया जाये व लीज डीड का नवीकरण किया जाये।

11 गल्ले (अनाज) की मात्रा में बढ़ौतरी न करना:–

अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि कुछ एक व्यक्ति मन्दिर भूमि का प्रयोग कृषि हेतु कर रहे है, उनसे भूमि के लगान की वसूली गल्ले (अनाज) के रूप में की जाती है। **परिशिष्ट I** में वर्णित विभिन्न कृषकों को जिस वर्ष से जितना गल्ला स्वीकृत किया गया उतना ही गल्ला आज दिनांक तक वसूला जा रहा है अर्थात 2001 एवं वर्ष 2002 से लगभग 10–11 वर्षों पश्चात भी पुरानी दरों के अनुसार गल्ले की वसूली की जा रही है। गल्ले में बढ़ौतरी न करने के कारण मन्दिर के अनाज भण्डार में प्रतिवर्ष सैकण्डों किलो ग्राम अनाज की कम प्राप्ति हो रही है। अतः परामर्श दिया जाता है कि कृषकों के गल्ले की मात्रा का पुनः निर्धारण किया जाये ताकि अधिक अनाज की मात्रा प्राप्त की जा सके जिससे कि मन्दिर लंगर का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

12 लीज नियमों के विपरीत मन्दिर जमीन को लीज पर देने बारेः–

अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि **परिशिष्ट J** में वर्णित विभिन्न व्यक्तियों को वर्ष 2011 व वर्ष 2012 में, विभिन्न विभागों से अनापति (NOC) प्राप्त किये बिना, मन्दिर जमीन लीज पर दी गई जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित लीज नियम 2011 के नियम 1.1 में निहित प्रावधानों तथा अन्य सम्बन्धित प्रावधानों के विपरीत है। यहां पर यह भी वर्णित किया जाता है कि आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा द्वारा उक्त स्वीकृत लीज प्रकरणों में जमीन को लीज पर देने से पूर्व सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने बारे दिशा–निर्देश दिए गये थे। अतः लीज नियमों एवं आयुक्त मन्दिर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विपरीत जमीन को लीज पर देने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इन प्रकरणों में निमयमानुसार कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये।

13 मन्दिर जमीन से प्राप्त आय के बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, श्री राम गोपाल मन्दिर के नाम, हिमाचल प्रदेश राजस्व रिकार्ड में 16870 कनाल व पंजाब राजस्व रिकार्ड में 353 कनाल 15 मरले भूमि अर्थात कुल 17223 कनाल 15 मरले भूमि दर्ज है। उपरोक्त जमीन से प्राप्त आय का मन्दिर की समस्त साधनों से प्राप्त कुल आय के साथ तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	जमीन से प्राप्त आय	कुल आय	जमीन से प्राप्त आय प्रतिशत में
2011	1969488	9421303	21%
2012	2389054	13274106	18%

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इतनी अधिक जमीन से प्राप्त आय का मन्दिर की कुल आय में बहुत कम योगदान है। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि भू–साधनों का समुचित दोहन कर मन्दिर की आय को बढ़ाने के प्रयत्न किया जाए।

14 संस्थापना पर बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने बारेः—

परिशिष्ट K के अनुसार वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 में संस्थापना पर व्यय, बजट प्रावधानों से अधिक पाये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	शीर्ष	बजट में प्रावधान	व्यय की गई राशि	अन्तर
2011	मन्दिर कर्मचारियों के वेतन व भत्ते	1300000	1328065	28065
2012	मन्दिर कर्मचारियों के वेतन व भत्ते	1500000	1673104	173104
	सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भते	500000	604290	104290
			कुल योग	**305459**

अतः बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अधिक व्यय की गई राशि को सक्षम अधिकारी, से स्वीकृति प्राप्त करके नियमित किया जाये।

15 केन्द्रीय पूल में अनियमित रूप से दी गई `250000/— के बारे मेंः—

रोकड़ वही के अवलोकन पर पाया गया कि मन्दिर कोष से वाऊचर संख्या 136 माह 5/2011 द्वारा केन्द्रिय पूल में `250000/—जमा करवाई गई जबकि हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक, धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम की किसी भी धारा/नियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अतः मन्दिर न्यास निघि से धन राशि निकाल कर केन्द्रीय पूल में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु उचित कार्रवाई अमल में लाई जाये।

16 विज्ञापनों पर `58000/—के अनियमित व्यय करने बारेः—

अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि मन्दिर प्रशासन द्वारा वर्ष 2011 में विज्ञापनों पर `58000/—का व्यय हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के विपरीत किया गया जिस कारण उपरोक्त `58000/—के

व्यय को मन्दिर निधि पर उचित प्रभार नहीं ठहराया जा सकता। विज्ञापनों पर भुगतान की गई राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट L** पर दिया गया है। जिसमें से वर्ष में दिनांक 24.1.2011 को गोवंश विशेषांक प्रकाशित हेतु किया गया `50000/—का व्यय तथा दिनांक 22.2.2011 को सांस्कृति कल्याण परिषद हेतु किया गया `8000/—का व्यय मन्दिर न्यास निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है। अतः अनियमित रूप में व्यय की राशि को सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये व भविष्य में अधिनियम के उपबन्धों की पालना करनी सुनिश्चित की जाये।

17 मोबाईल चार्जिज के रूप में `2000/—के अनियमित भुगतान बारेः—

दूरभाष रजिस्टर के पृष्ठ 47 एवं 48 के अनुसार मन्दिर अधिकारी को माह 8/2012 से 12/2012 के दौरान `400/— प्रतिमाह की दर से कुल `2000/—का भुगतान मोबाईल चार्जिज के रूप में किया गया जबकि आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के कार्यालय आदेश संख्या ए0डी0एम0/कांगड़ा—1307—1317 दिनांक 2.11.10 के अनुसार मोबाईल चार्जिज `400/—का भुगतान Bimonthly अर्थात दो महीनों के लिये किया जाना अपेक्षित था। अतः उपरोक्त पत्र में वर्णित दिशा—निर्देशों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अधिक भुगतान की गई `1000/—की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जानी सुनिश्चित की जाये व भविष्य में नियमानुसार ही मोबाईल चार्जिज का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

18 रात्री सुरक्षा पहरेदार को किये गये भुगतान के बारेः—

कार्यालय आयुक्त मन्दिर के पत्र संख्या ए0डी0एम0/2010 (मन्दिर) 683—684 दिनांक 6.6.10 के अनुसार मन्दिर की रात्री पहरेदारी (अवधि 1.9.10 से 31.8.11) के लिए वार्षिक ठेका श्री केवल सिंह ठेकेदार को `86400/—की वार्षिक दर पर दिया गया था। उक्त ठेके से सम्बन्धित अभिलेख तथा ठेकेदार को किए गए भुगतान की जांच पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः—

(क) ठेके की शर्त नं0 7 के अनुसार ठेके की राशि का भुगतान वर्ष में चार वार किया जाना था परन्तु अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि ठेके की राशि का भुगतान त्रैमासिक न करके मासिक रूप में किया गया था।

(ख) अवधि 1.9.11 से 31.8.12 तक का ठेका, पुरानी दरों पर तथा अवधि 1.9.12 से 31.8.13 का ठेका, ठेके के मूल राशि 20**%** की बढ़ौतरी करके पुनः बढ़ाया गया, जबकि ठेके के मूल नियम व शर्तों में ऐसी कोई शर्त नहीं थी।

(ग) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किये थे। अतः क्रम संख्या (i), (ii) व (iii) के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये व यह सुझाव दिया जाता है कि न्यास स्त्तर पर जांच करके भविष्य में खुली बोली/टैण्डर प्रक्रिया द्वारा उक्त कार्य को ठेके पर दिया जाये व ठेके की शर्तों के अनुसार ही राशि का भुगतान किया जाये।

19 जल प्रभार की कटौती न करने के कारण `7818/–के अधिक भुगतान बारे तथा माप पुस्तिका में कार्य प्रारम्भ करने तथा कार्य समाप्त करने की तिथि अंकित न करने बारेः–

वाऊचर सं0ः–359, दिनांक 4.2.12

कार्य का नामः– मन्दिर परिसर से बावड़ी की ओर पुली का विस्तार

ठेकेदार का नामः– श्री विरेश्वर सिंह पठानिया

अवार्ड पत्र सं0ः– 1032 दिनांक 8.7.11

एम0बी0 नं0 48 पृ0सं0 33

(क) उपरोक्त वर्णित कार्य बिल की जांच में यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा ठेकेदार के बिल में से जल–प्रभार की कटौती नहीं की गई थी। माप पुस्तिका या अन्य अभिलेख में जल को क्रय करने तथा निर्माण कार्य में प्रयोग करने सम्बन्धी कोई भी प्रमाण पत्र अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जल का इन्तजाम अपने स्त्तर पर किया गया है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार द्वारा जल का प्रयोग मन्दिर के स्त्रोतों से निशुल्क ही किया गया। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा निशुल्क जल प्रयोग करने के कारण उनमें कार्य की कुल लागत (Gross Bill) पर 1.5**%** की दर से जल प्रभार की कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु नियमानुसार कार्य की कुल लागत `521232/–पर 1.5**%** दर से `7818/–की कटौती न करने के कारण सम्बन्धित ठेकेदार को `7818/–का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई `7818/–की

वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त संस्था स्तर पर ऐसे अन्य समस्त प्रकरणों की छानबीन की जाये व तदानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाये।

(ख) उक्त कार्य अवार्ड पत्र संख्या 1032 दिनांक 8.7.11 द्वारा श्री विरेश्वर सिंह ठेकेदार को आंबटित किया गया थां तथा अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार द्वारा यह कार्य अवार्ड पत्र के जारी होने के 15 दिनों के भीतर शुरू करके 2½ माह अर्थात 22.9.11 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था परन्तु माप पुस्तिका में कार्य आरम्भ करने व कार्य समाप्ति की दिनांक अंकित नहीं थी जिससें यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ठेकेदार द्वारा कार्य समय पर समाप्त कर दिया गया अथवा नहीं। अतः इस तरह के समस्त प्रकरणों की छानबीन संस्था स्तर पर की जाये व जो कार्य समय समय सीमा में समाप्त न हुए हो उनमें समय सीमा में बढ़ौतरी का अनुमोदन प्राप्त करके तदानुसार कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये अन्यथा ऐसे प्रकरणों में आर्थिक दण्ड की वसूली की जाए क्योंकि शर्त संख्या 7 के अनुसार, कार्य को निर्धारित समय पर पूर्ण न करने पर, आयुक्त मन्दिर द्वारा कार्य की "Estimated Cost" के ऊपर अपने विवेकानुसार आर्थिक दण्ड लगाया जाना अपेक्षित था।

20 टी0ए0 चैक रजिस्टर न लगाने बारेः–

चयनित महीनो के भुगतान वाउचरों की जांच में यह पाया गया कि मन्दिर प्रशासन द्वारा मन्दिर कर्मचारियों को समय–समय पर यात्रा भत्ता दावों बिलों का भुगतान तो किया जाता रहा है परन्तु किये गये भुगतानों को टी0ए0 रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जिस कारण दोहरे भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर वाऊचर संख्या 232 दिनांक 22.8.11 द्वारा निम्न विवरणानुसार यात्रा भत्ता दावा बिलों का भुगतान किया गया जिसे कि टी0ए0 चैक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गयाः–

	कर्मचारी का नाम	अवधि	राशि
1	सुरेश कुमार (J.E.)	6.6.11 से 30.6.11	763
2	राजेश कुमार (लि0)	5.7.11 से 30.7.11	2560
3	रवि कुमार (पटवारी)	5.7.11 से 30.7.11	658

अतः संस्था स्तर पर जांच करके इस तरह के समस्त भुगतानों को टी0ए0 चैक रजिस्टर में दर्ज किया जाये ताकि दोहरे भुगतानों की सम्भावना से बचा जा सके तथा भविष्य में भी नियमानुसार अभिलेख का रख–रखाव किया जाये।

21 गाड़ियांः–

(क) गाड़ी नं0 एच0पी0 40 ए–0055 की औसत तेल खपत निर्धारण बारेः–

गाड़ी नं0 एच0पी040–ए–0055 की लॉग की जॉच में यह पाया गया कि उक्त गाड़ी की औसत तेल खपत का निर्धारण किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं करवाया गया था, यद्यपि गाड़ी की औसत तेल खपत लगभग 7.15 कि0मी0/लीटर दर्शाई गई थी परन्तु सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से गाड़ी की औसत तेल खपत का निर्धारण न करवाने के कारण लॉग में दर्शाई गई औसत तेल खपत की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त गाड़ी की औसत तेल खपत का निर्धारण किसी मान्यता प्राप्त संस्था से करवाया जाये तथा यदि संस्था द्वारा निर्धारित औसत खपत वर्तमान दर्शाई गई औसत तेल खपत 7.15 कि0मी0/लीटर से अधिक हो तो तदानुसार अधिक खपत किये गये डीजल की वसूली मन्दिर प्रशासन द्वारा उचित स्त्रोत से करके मन्दिर निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) गाड़ी नं0 एच0पी0 40–ए–055 के प्रयोग के बारेः–

कार्यालय आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के पत्र संख्या ए0डी0एम0–1/98–मन्दिर–1611 दिनांक 18.7.98 के अनुसार मन्दिर की गाड़ी का प्रयोग केवल मन्दिर के कार्यों (मन्दिर भूमि के निरीक्षण एवं मन्दिर के कोर्ट केसों की पैरवी) इत्यादि हेतु ही किया जाना अपेक्षित था परन्तु मन्दिर की गाड़ी नं0 एच0पी0 40–ए–055 की लॉग बुक के अवलोकन पर पाया गया कि मन्दिर गाड़ी का प्रयोग उपरोक्त पत्र के दिशा–निर्देशों के विपरीत भी किया गया था जिसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	दिनांक	यात्रा विवरण	दूरी	उद्देश्य
1	5.1.11	डमटाल से धर्मशाला एवं वापिस	250 कि0मी0	जनगणना की मिटिंग हेतु
2	28.2.11	डमटाल से इन्दौरा काठगढ़	90 कि0मी0	काठगढ़ मेला डयूटी
3	1.3.11	–यथोपरि–	80 कि0मी0	–यथोपरि–
4	2.3.11	–यथोपरि–	70 कि0मी0	–यथोपरि–

5	3.3.11	–यथोपरि–	130 कि0मी0	–यथोपरि–
6	30.7.11	डमटाल, नागनी एवं वापिस	130 कि0मी0	जगनी मेला डयूटी
7	27.2.12	इन्दौरा से बड़ूखर एवं वापिस	50 कि0मी0	इन्तकाल करने हेतु
8	28.2.12	इन्दौरा से ध्याला व वापिस	60 कि0मी0	–यथोपरि–
9	2.3.12	इन्दौरा से नन्दपुर व वापिस	50 कि0मी0	पेपरों की चैकिंग
10	6.3.12	इन्दौरा से डाहकुलाड़ा	60 कि0मी0	–यथोपरि–
11	19.36.12	इन्दौरा से मण्डमडयाणी व वापिस	80 कि0मी0	–यथोपरि–
12	23.2.12	इन्दौरा से धण्डारा	80 कि0मी0	इन्तकाल करने हेतु
13	26.3.12	इन्दौरा से मलाड़ी	40 कि0मी0	–यथोपरि–
14	3.5.12	इन्दौरा से कडसाई	40 कि0मी0	पेपरों की चैकिंग
15	23.5.12	इन्दौरा से बड़ूखर	50 कि0मी0	इन्तकाल करने हेतु
16	10.7.12	इन्दौरा से ठाकुरद्वारा	90 कि0मी0	निशन देही
17	8.11.12	डमटाल से देहरा	260 कि0मी0	मन्दिर के अलावा अन्य कोर्ट केस

उपरोक्त उदाहरणों से स्वतः ही स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर गाड़ी का प्रयोग, आयुक्त मन्दिर के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं किया गाय था। अतः संस्था स्तर पर इस तरह के समस्त प्रकरणों की छानबीन की जाये व अनियमित रूप में तय की गई दूरी को सक्षम अधिकारी (आयुक्त मन्दिर) की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाये अन्यथा अनियमित रूप में तय की गई दूरी को निजी यात्रा मानते हुये राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से की जाये।

(ग) व्हीकल चार्जिज की वसूली न करनाः–

आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के कार्यालय आदेश संख्या ए0डी0एम0/कांगड़ा–1307–1317 दिनांक 2.11.10 के अनुसार जिन मन्दिर अधिकारी/प्रभारी के कब्जे में कार्यालय की गाड़ी है उनके द्वारा कम से कम `300/–प्रति माह की Fixed दर से व्हीकल चार्जिज मन्दिर कार्यालय में जमा किये जाने अपेक्षित थे, परन्तु अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा व्हीकल चार्जिज मन्दिर निधि में जमा नहीं करवाये गये थे, जबकि लॉग बुक के अनुसार मन्दिर कार्यालय की गाड़ी

एच0पी0 नं0–ए–0055 का उपयोग अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया गया था। अतः व्हीकल चार्जिज की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षणाधीन अवधि हेतु `₹7200/–(24 माह X300) की वसूली उचित स्त्रोत/तत्कालीन अधिकारियों से की जानी सुनिश्चित की जाये व भविष्य में भी नियमानुसार व्हीकल चार्जिज की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

22 स्टॉकः–

(क) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारेः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान यह पाया गया कि भण्डार में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन मन्दिर प्रशासन द्वारा नहीं करवाया गया था जबकि नियमानुसार प्रत्येक वर्ष भण्डार में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित है। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापना करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ख) स्टॉक रजिस्टर के रख रखाव बारेः–

स्टॉक रजिस्टरों के अवलोकन पर यह पाया गया कि एक बिल के अन्तर्गत खरीदी गई स्थाई/अस्थाई वस्तुओं की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर के एक ही पेज पर दर्ज की गई थी जबकि नियमानुसार खरीद गई प्रत्येक मद/वस्तु के लिये स्टॉक रजिस्टर में अलग–2 पेज आबटित किये जाने अपेक्षित थे जिससे कि प्रत्येक मद/वस्तु के अन्त शेष का पता चल सके। अतः प्रत्येक मद/वस्तु के लिये स्टॉक रजिस्र में अलग–2 पेज आंबटित करके स्टॉक रजिस्टरों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाये।

23 अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 32 दिनांक 18.4.13 द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर (सीमेन्ट/स्टील इत्यादि का स्टॉक रजिस्टर) को आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक वांन्छित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा आगामी अंकेक्षण के दौरान वांन्छित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाये।

24 **लधु आपति विवरणिकाः—** लधु आपतियों का निपटारा मौके पर अंकेक्षण के दौरान कर दिया गया। अतः इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

25 **निष्कर्षः—** लेखों के रख—रखाव में और सुधार की आवश्यकता है व मन्दिर जमीन से अधिक आय सृजन करने हेतु ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः—फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)202/99 खण्ड—2—6314—6318 दिनांक, 27.09.2013, शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है :—

पंजीकृतः—1. मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल मन्दिर डमटाल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करने सुनिश्चित करे।

2. अवर सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 शिमला—2
3 उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0 शिमला—9
5 श्री राजवीर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा....................................

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "A"　　　　　　पैरा संख्या 1 (घ)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12.3.96 से 31.12.98

1	पैरा–3 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–12	अनिर्णीत
4	पैरा–13	अनिर्णीत
5	पैरा–20	अनिर्णीत
6	पैरा–21	अनिर्णीत
7	पैरा–24	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2000 से 12/2000

1	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2002

1	पैरा–9	अनिर्णीत
2	पैरा–10	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2003 से 12/2004

1	पैरा–6	अनिर्णीत	
2	पैरा–8	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमण पत्र देखने उपरान्त)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2005 से 12/2008

1	पैरा–8	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
2	पैरा–9	अनिर्णीत	
3	पैरा–10	अनिर्णीत	
4	पैरा–11	निर्णीत	(दिनांक फरवरी 2013 तक ₹66338161 की राशि बढ़कर ₹113316507/–हो चुकी है)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2009 से 12/2010

1	पैरा–2	निर्णीत	(₹9900/– बैंक ड्राफ्ट नं0 432136 (एस0बी0 आई0) दिनांक 10.6.11 द्वारा जमा किये गये)
2	पैरा–4	निर्णीत	(रोकड़ वही पृ0 124 दिनांक 31.12.09 को दर्ज)
3	पैरा–5	निर्णीत	(पैरा अपडेटड)
4	पैरा–6	निर्णीत	(पैरा अपडेटड)
5	पैरा–7	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित)
6	पैरा–8	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित)
7	पैरा–9	अनिर्णीत	
8	पैरा–10	अनिर्णीत	
9	पैरा–11	अनिर्णीत	
10	पैरा–12	अनिर्णीत	
11	पैरा–13	अनिर्णीत	
11	पैरा–14	अनिर्णीत	

दिनांक 31.12.2010 तक अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	28
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	9
अन्तशेष अर्थात अब दिनांक 31.12.2010 तक अनिर्णीत पैरे	19